# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार** (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 001/2013 (GCMS 2013/00022) | 03.01.2013 | 18.02.2021 |

**अनवान**

अब्दुल लतीफ पिता ईमामुद्धीन मंसुरी जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. स्वर्गीय नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार जाति सुथार निवासी चारभुजा मंदिर के पास भाटो का नौहल्ला बेगूं तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ के बजाय
   1/1 मुस्मात धापु बाई पत्नी स्वर्गीय नन्दलाल सुथार जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चारभुजा मंदिर के पास, भाटो का मौहल्ला बेगूं तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
   1/2 राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय नन्दलाल सुथार जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चारभुजा मंदिर के पास, भाटो का मौहल्ला बेगूं तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. श्रीमान् भूमिधारी जी (तहसीलदार साहब) बेगूं तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

**अप्रार्थीगण**

**–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा (14) (4) राजस्थान कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 15.02.1985 आवंटन मिसल नम्बर 1089/1985 आवंटन सलाहकार कमेटी (एस.डी.ओ) बेगूं आवंटित आराजी मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज तहसील बेगूं वर्तमान आराजी नम्बर 150 मी. रकबा 1.98 हैक्टर आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार निवासी बेगूं (मृतक) ::–**

| उपस्थिति :– | | |
|---|---|---|
| | श्री अभिषेक गर्ग | प्रार्थी |
| | श्री सत्यनारायण ईनाणी | अप्रार्थी संख्या 1 |
| | श्री भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) | अप्रार्थी संख्यर 2 |

**–:: निर्णय ::–**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.24 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी बेगूं ने नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार निवासी बेगूं के जरिए मिसल संख्या 1089 सन् 1985 आवंटन आदेश दिनांक 15.02.1985 से मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज पटवार हल्का दौलतपुरा में वर्तमान आराजी नम्बर 150 मीन रकबा 1.98 हैक्टर (12 बीघा 5 बिस्वा) का आवंटन किया है जो अवैधानिक होकर राजस्थान कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 15.02.1985 को निम्न कारणों से अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (26 क) के अनुसार भूमिहीन कृषक की परिभाषा में नहीं आता हैं। आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार का एकमात्र व्यवसाय सुथारी कार्य था, किन्तु आवंटी ने उक्त तथ्य को छिपाते हुए व स्वंय को भूमिहीन कृषक बताने के लिए जो कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया उसमें अपना व्यवसाय तथाकथित खेती बताया था, किन्तु रिपोर्ट पटवारी में आवंटी का व्यवसाय सुथारी कार्य व कृषि कर दिया गया जबकि वास्तव में यह है कि तत्कालीन पटवारी आवंटी के मकान में बेगूं में किराये पर रहते थे उन्होनें आवंटी को अनावश्यक लाभ पहूँचाने की नियत से गलत रिपोर्ट पेश करी। आवंटी का परिवार सदैव से सुथारी कार्य ही करता आया है आवंटी के परिवार में से आवंटी तो क्या कभी किसी भी सदस्य ने खेती नहीं की हैं, न ही हल जोते हैं। इस प्रकार आवंटी द्वारा तथ्य छुपाकर उक्त आवंटन करवाया है, जबकि आवंटी भूमिहीन कृषक नहीं होने से आवंटन की पात्रता ही नहीं रखता है ऐसी स्थिति में उक्त अवैधानिक आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आवंटीत कृषि भूमि का कब्जा जब पटवारी दौलतपुरा द्वारा आवंटी को सौंपने की कार्यवाही की गई उस समय उक्त आवंटीत भूमि पर कब्जा प्रार्थी अदुल लतीफ का होने से आवंटीत भूमि पर कब्जा आवंटी नन्दलाल को नहीं सौंपा जा सका और जो पर्चा मौका मुरतिबा पटवार सर्किल दौलतपुरा दिनांक 25.05.1985 को पटवारी द्वारा बनाया गया उसमें किसी भी मौतबीर के हस्ताक्षर नहीं है, और उक्त पर्चे मौका में भूमि को मौके पर काबिल काश्त नहीं होने से आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त करने से इन्कार किया गया दर्शाया है। उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि उक्त आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी नन्दलाल को आज दिन तक सौंपा नहीं गया है। आवंटी नन्दलाल सुथार द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पटवार मण्डल दौलतपुरा के पटवारी द्वारा दिनांक 15.02.1985 को जो रिपोर्ट पेश करी है उसमें आवंटी को बेगूं का निवासी बताया है और आवंटी के ग्राम बेगूं व जुनी बेगूं में कोई कृषि भूमि नहीं होने की रिपोर्ट करी है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आवंटी नन्दलाल सुथार मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज का निवासी नही होकर बेगूं का निवासी है, किन्तु उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बेगूं ने आवंटी को ग्राम लक्ष्मीगंज में कृषि भूमि आवंटित करने का दोषपूर्ण आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आवंटन की कार्यवाही के दौरान आवंटन परामर्श दात्री समिति मुकाम दौलतपुरा ने आवंटी को मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज पटवार हल्का दौलतपुरा के आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा के आवंटन का आदेश दिनांक 15.02.1985

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.24 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रदान किया उक्त आदेश में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व सरपंच के हस्ताक्षर मात्र हैं पर उन पर सील नहीं लगी हुई है। इसी तरह से सब डिवीजनल अधिकारी बेगूं द्वारा आवंटी नन्दलाल के पक्ष में प्रपत्र (05) अनाभिधृत सरकारी भूमि के आवंटन का आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश प्रपत्र 05 पर कहीं पर, भी आदेश की दिनांक अंकित नहीं है और कहीं पर भी सब डिविजनल ऑफिसर बेगूं की सील नहीं लगाई गई है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी बेगूं का उक्त आवंटन आदेश दिनांक 15.02.1985 दोषपूर्ण प्रक्रिया को अपना कर पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज पटवार हल्का की आराजी संख्या 150 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा पर प्रार्थी अब्दुल लतीफ पिता ईमामुद्धीन मंसुरी निवासी बेगूं का कब्जा तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 15.02.1985 से पूर्व से ही होकर आज दिन तक चला आ रहा है, किन्तु तत्कालीन श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूं ने आवंटन करते वक्त प्रार्थी का कब्जा होते हुए भी प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नही करते हुए दोषपूर्ण ढंग से उक्त आराजीयात को अनाधिकृत (खाली) दिखाकर राजस्व भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों के विपरीत उक्त आवंटन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार ने आवंटित आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा पर अपने जीवनकाल में कभी भी काबिज हो काश्त नही करी और ना ही आवंटी की मृत्यु उसके वारिस विपक्षी संख्या 1/1 श्रीमती मु0 धापूबाई पत्नि स्वर्गीय नन्दलाल सुथार व विपक्षी संख्या 1/2 राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय नन्दलाल सुथार ने काबिज हो काश्त करी हैं, किन्तु फिर भी पटवारी पटवार हल्का दौलतपुरा ने सम्वत् 2042 से 2045 की खसरा गिरदावरी में आवंटन वर्ष सम्वत् 2042 में उक्त आवंटित आराजी संख्या 150 मी रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा पर मक्की 2 बीघा, मूंगफली 2 बीघा व तिल्ली 4 बीघा पर काश्त होना दर्शाया है, आवंटन वर्ष में 50 प्रतिशत आवंटित भूमि पर काश्त करना आवश्यक होने से पटवार हल्का दौलतपुरा द्वारा 9 बीघा कृषि भूमि पर काश्त होना दर्शाया है, किन्तु इसके बाद से एक भी वर्ष में उक्त आवंटित कृषि भूमि पर के पश्चात् खेती होना नहीं दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार ने राजस्थान कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 की पालना नही करते हुए आवंटित आराजी पर कभी भी खेती नहीं की, जिससे उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं, जिसकी पुष्टि में सम्वत् 2042 से 2045, सम्वत् 2046 से 2049, सम्वत् 2050 से 2053, सम्वत् 2054 से 2057 व सम्वत् 2058 से 2061 की खसरा गिरदावरी पेश हैं। आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार का आवंटित आराजी पर काबिज हो काश्त नहीं करने के कारण उक्त आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भी आवंटित आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा आवंटित की खातेदारी में नहीं दर्ज की गई और आवंटी नन्दलाल सुथार की मृत्यु हो जाने पर भी उक्त आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा का गैरखातेदारी इन्तकाल आवंटी के वारिसों के नाम पर नहीं खोला गया और वर्तमान में भी उक्त आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार की गैरखातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.24 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसकी पुष्टि में चालु जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 तक की मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज की पेश हैं। प्रार्थी अब्दुल लतीफ पिता ईमामुद्धीन व उसके भाई नजीर अहमद पिता ईगामुद्धीन निवासी बेगूं की स्हखातेदारी में मौजा ग्राम बंदे का रामनगर पटवार हल्का मेघपुरा तहसील बेगूं में आराजी संख्या 94/268 रकबा 0.971 हैक्टर की स्थित हैं, उक्त आराजी मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज में आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुधार को आंवटित आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा के लगती हुई स्थित होने से प्रार्थी अब्दुल लतीफ का मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 150 मीन पर वर्षो पुराना कब्जा होकर प्रार्थी उक्त आराजी को काश्त करता चला आ रहा है। मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज की उक्त आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा के आवंटन के लिए प्रार्थी अब्दुल लतीफ ने भी वर्ष 1985 में कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन हेतु आवेदन पत्र श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय बेंगॅू के समक्ष पेश किया था किन्तु तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का दौलतपुरा ने प्रार्थी अब्दुल लतीफ उक्त आराजी संख्या 150 मीन के आवंटन हेतु पात्र होते हुए भी प्रार्थी को आवंटित नहीं कर राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियमों के विपरीत जाकर नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार के उक्त आराजी का दोषपूर्ण आवंटन कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है, जिसकी पुष्टि में मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 150 व मौजा ग्राम बंदे का रामनगर की आराजी संख्या 294/268 के नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 को पेश करने की कोई मियाद नहीं होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश हैं। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की गई कि हस्तगत प्रार्थना पत्र की प्रकृति के मामले सुनने का श्रवणाधिकार श्रीमान् आपका होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र श्रीमान् आपके समक्ष पेश हैं, जिसे स्वीकार फरमा कर उपखण्ड अधिकारी बेगूं द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 15.02.1985 मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार निवासी बेगूं का निरस्त करने का आदेश प्रदान करे ।

इस पर प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 एवं 1/2 की और से दिनांक 05.03.2013 उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेंगूं से मूल अभिलेख पत्रावली संख्या 1086/1985 निर्णय दिनांक 15.02.1985 को तलब किया गया। इस पर प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार) चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/रेकार्ड/60 दिनांक 17.05.2013 से प्रेषित किया गया जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 18.02.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्षकारान की सहमति से प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.24 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपनी बहस पत्रावली में बताया कि उपखण्ड अधिकारी बेगूं ने नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार निवासी बेगूं के जरिए मिसल संख्या 1089 सन् 1985 आवंटन आदेश दिनांक 15.02.1985 से मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज पटवार हल्का दौलतपुरा में वर्तमान आराजी नम्बर 150 मीन रकबा 1.98 हैक्टर (12 बीघा 5 बिस्वा) का आवंटन किया है जो अवैधानिक होकर राजस्थान कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (26 क) के अनुसार भूमिहीन कृषक की परिभाषा में नहीं आता हैं। आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार का एकमात्र व्यवसाय सुथारी कार्य था, किन्तु आवंटी ने उक्त तथ्य को छिपाते हुए व स्वंय को भूमिहीन कृषक बताने के लिए जो कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया उसमें अपना व्यवसाय तथाकथित खेती बताया था, किन्तु रिपोर्ट पटवारी में आवंटी का व्यवसाय सुथारी कार्य व कृषि कर दिया गया जबकि वास्तव में यह है कि तत्कालीन पटवारी आवंटी के मकान में बेगूं में किराये पर रहते थे उन्होनें आवंटी को अनावश्यक लाभ पहूँचाने की नियत से गलत रिपोर्ट पेश की गई। इस प्रकार आवंटी द्वारा तथ्य छुपाकर उक्त आवंटन करवाया है, जबकि आवंटी भूमिहीन कृषक नहीं होने से आवंटन की पात्रता ही नहीं रखता है। उक्त आवंटीत कृषि भूमि का कब्जा जब पटवारी दौलतपुरा द्वारा आवंटी को सौंपने की कार्यवाही की गई उस समय उक्त आवंटीत भूमि पर कब्जा प्रार्थी अदुल लतीफ का होने से आवंटीत भूमि पर कब्जा आवंटी नन्दलाल को नहीं सौंपा जा सका और जो पर्चा मौका मुरतिबा पटवार सर्किल दौलतपुरा दिनांक 25.05.1985 को पटवारी द्वारा बनाया गया उसमें किसी भी मौतबीर के हस्ताक्षर नहीं है, और उक्त पर्चे मौका में भूमि को मौके पर काबिल काश्त नहीं होने से आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त करने से इन्कार किया गया दर्शाया है। आवंटी नन्दलाल सुथार द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पटवार मण्डल दौलतपुरा के पटवारी द्वारा दिनांक 15.02.1985 को जो रिपोर्ट पेश करी है उसमें आवंटी को बेगूं का निवासी बताया है और आवंटी के ग्राम बेगूं व जुनी बेगूं में कोई कृषि भूमि नहीं होने की रिपोर्ट करी है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आवंटी नन्दलाल सुथार मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज का निवासी नही होकर बेगूं का निवासी है, किन्तु उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बेगूं ने आवंटी को ग्राम लक्ष्मीगंज में कृषि भूमि आवंटित करने का दोषपूर्ण आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवंटी को मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज पटवार हल्का दौलतपुरा के आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा के आवंटन का आदेश दिनांक 15.02.1985 प्रदान किया उक्त आदेश में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व सरपंच के हस्ताक्षर मात्र है पर उन पर सील नहीं लगी हुई है। इसी तरह से सब डिवीजनल अधिकारी बेगूं द्वारा आवंटी नन्दलाल के पक्ष में प्रपत्र (05) अनाभिधृत सरकारी भूमि के आवंटन का आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश प्रपत्र 05 पर कहीं पर, भी आदेश की दिनांक अंकित नहीं है और कहीं पर भी सब डिविजनल ऑफिसर बेगूं की सील नहीं लगाई गई है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी बेगूं का उक्त आवंटन आदेश दिनांक 15.02.1985 दोषपूर्ण प्रक्रिया को अपना कर पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.24 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योग्य हैं। मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज पटवार हल्का की आराजी संख्या 150 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा पर प्रार्थी अब्दुल लतीफ पिता ईमामुद्धीन मंसुरी निवासी बेगूं का कब्जा तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 15.02.1985 से पूर्व से ही होकर आज दिन तक चला आ रहा है, किन्तु तत्कालीन श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूं ने आवंटन करते वक्त प्रार्थी का कब्जा होते हुए भी प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नही करते हुए दोषपूर्ण ढंग से उक्त आराजीयात को अनाधिकृत (खाली) दिखाकर राजस्व भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों के विपरीत उक्त आवंटन आदेश पारित किया है। आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार ने आवंटित आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा पर अपने जीवनकाल में कभी भी काबिज हो काश्त नही है। इसके जवाब में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में बताया कि विपक्षी के अधिवक्ता का कथन है कि उसके अप्रार्थी को लगभग 30 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ। प्रार्थी को उक्त आवंटन आदेश की जानकारी भलीभांति रही है। आवंटन का कब्जा विधिवत सौपा गया है। विवादित आराजीयात का राजस्व रेकार्ड अप्रार्थीगण के नाम होकर मौके पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी/निगराकार द्वारा लगभग 30 वर्ष के पश्चात् आवंटन आदेश को चुनौति गई है ऐसी स्थिति में इतनी लम्बी अवधि बाद प्रार्थी/निगराकार की ओर से यह आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र मात्र अप्रार्थीगण से आपसी रजिंशवश पेश किया गया है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता की और से नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें किसी भी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। जिस पर बाद जांच के आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार जांच की जाकर अप्रार्थीगण के पिता को 12 बीघा 05 बिस्वा भूमि को आवंटन किया गया है, जिसका पटवार हल्का द्वारा नियमानुसार कब्जा अप्रार्थीगण के पिता को सिपुर्द किया गया है। आवंटन के पश्चात् काफी अंग मेहनत करके इसे कृषि योग्य बनाया है। अप्रार्थीगण के पिता को नियमानुसार आवंटन होने के पश्चात आराजीयात नामान्तरकरण संख्या 43 दिनांक 13.01.1986 से विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही तथ्यों पर आधारित नहीं होने से खारिज योग्य है। ग्राम लक्ष्मीगंज की आराजी नम्बर 150 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से अप्रार्थीगण के पिता कों 12 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 15.02.1985 को आवंटित होकर गेर खातेदारी हक से दर्ज हुई तथा विगत 30 वर्षो से अप्रार्थीगण का कब्जा होकर खेती कर रहे है। उक्त भूमि को आवंटन के पश्चात खेती योग्य बनाया। अप्रार्थीगण के पिता को विधिवत रूप से सलाहकार समिति की राय के अनुसार आवंटन किया गया। भूमि आवंटन बाबत् पूर्ण रूप से नियमों की पालना कर भूमि आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र में उठाए गए है वे पूर्ण रूप से मिथ्या है। विधिवत भूमि की उद्घोषणा जारी होकर सलाहकार समिति की राय के अनुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थी का कब्जा न तो आवंटन से पूर्व था और ना ही आवंटन के बाद ही कभी कब्जा रहा है। प्रार्थी ने जलन व लालच वश 30 वर्ष बाद झुठी निगरानी पेश की गई है जिसे खारीज फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.24 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**RRT 2016(2)** पेज संख्या 884, **RRT 2018(2)** पेज संख्या 1007, **RRT 2018(1)** पेज संख्या 285 एवं **RRT 2016(2)** पेज संख्या 756 न्यायिक दृष्टांत पेश किये एवं दृष्टिपात कराया एवं निवेदन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रार्थी/निगराकार का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की जाकर विधिवत आवंटन किया गया है जिससे अधीनस्थ आवंटन सलाहकार समिमि के निर्णय दिनांक 15.02.1985 में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने की गुंजाईश नहीं होकर पुष्टि किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी अब्दुल लतीफ पिता ईमामुद्धीन व उसके भाई नजीर अहमद पिता ईगामुद्धीन निवासी बेगूं की स्हखातेदारी में मौजा ग्राम बंदे का रामनगर पटवार हल्का मेघपुरा तहसील बेगूं में आराजी संख्या 94/268 रकबा 0.971 हैक्टर की स्थित हैं, उक्त आराजी मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज में आवंटी नन्दलाल पिता चतरभुज सुधार को आंवटित आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा के लगती हुई स्थित होने से प्रार्थी अब्दुल लतीफ का मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज की आराजी संख्या 150 मीन पर वर्षो पुराना कब्जा होकर प्रार्थी उक्त आराजी को काश्त करता चला आ रहा है। मौजा ग्राम लक्ष्मीगंज की उक्त आराजी संख्या 150 मीन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा के आवंटन के लिए प्रार्थी अब्दुल लतीफ ने भी वर्ष 1985 में कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन हेतु आवेदन पत्र श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय बेंगॅू के समक्ष पेश किया था किन्तु तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का दौलतपुरा ने प्रार्थी अब्दुल लतीफ उक्त आराजी संख्या 150 मीन के आवंटन हेतु पात्र होते हुए भी प्रार्थी को आवंटित नहीं कर राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियमों के विपरीत जाकर नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार के उक्त आराजी का दोषपूर्ण आवंटन कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में **RRD** 1982 पेज संख्या 237, **RRD** 1981 पेज संख्या 644, **RRD** 1983 पेज संख्या 53, **RRD** 1983 पेज संख्या 319 एवं **RRD** 1989 पेज संख्या 654 न्यायिक दृष्टांत पेश किये एवं न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात कराया एवं प्रार्थी/निगराकार का प्रार्थना स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत शामिल पत्रावली है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.24 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :–

**101. Allotment of land for agricultural purposes** – (1) Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.
(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.
(3) XXX delted XXX]
(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

(i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated fromthe same source, perference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
(ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
(iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

**14. Condition of Allotment**. –

(1) The allotment of land under these rules shall be on a Gair Khatedari tenancy with a right to ultimate conferment of Khatedari rights after the expiry of 10 years provided the allottee fulfills during this period the terms and conditions of allotment until Khatedari rights are conferred. The allottee shall have all the rights and be subjected to all liabilities of a Gair Khatedar tenant under the Tenancy Act:
[Provided also that the allotment of land may be cancelled at any stage by the Collector before the expiry of a period of 10 years, if the land is required for public purpose:
[Provided further the no such order to the prejudice of such person shall be passed without giving him an opportunity of being heard.]

(2) Rent at the sanctioned rent rate applicable to the land, or if the land applied for and allotted is unassessed, at the lowest class of Barani land in the village for irrigated land at the Chahi or Nehri rates, as the case may be. for Chahi or Nehri irrigated lands of the village shall be payable from the first year of allotment.

(3) The allottee shall have to cultivate at least 50% of the land in the first year- of allotment and the remaining area in the second year: Provided that this period may be extended by the Tehsildar by one year if, due to unforeseen causes over which the allottee had no control, he was unable to cultivate the land within the stipulated period.

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:
Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.24 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(5) The allottee shall pay to the State Government the price of the walls and permanent, structures if any, existing on the land, as also the price of trees standing on the land at rates prescribed by rules made under section 80 and 81 of the Tenancy Act.

(6) Before acquisition of Khatedari rights the allottee shall not construct any permanent structures or buildings other than a tank, well or dwelling a house within the meaning of an "improvement" as defined by clause (19) of section 5 of the Tenancy Act.

(7) In case of land situated within a radius of 10 miles of Jaipur City the allottee shall also pay the rate of Fifteen rupees and 25 paisa per hi glia:
Provided that, no such price shall be charged if the number of trees standing in a bigha of land is less than five.

(8) The land shall be liable to be resumed by the State Government without, payment of compensation if-
 (a) it is not brought under cultivation strictly in accordance with the condition of allotment and it is not properly utilised:
 (b) it is sub let or transferred in contravention of the provision of Tenancy Act applicable to Gair Khatedar tenants:
 (c) it is found that the allottee was not a [landless agriculturist];
 (d) the allottee makes default in the timely payment of the price referred to in clause 5 of the rule and/or the annual rent: or
 (e) the allottee makes construction on the land in contravention of the allotment rules.

[(9) In case the land allotted in grass land or subject to erosion, the allottee shall have to undertake the work of soil conservation as and when directed by an officer of the Agriculture Department authorised in this behalf.]

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि भू–आवंटन के लिए प्रस्तावित सूची भी तैयार नहीं की और ना ही कोई अधिसूचना ही जारी किया और ना ही भू आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को नियमानुसार कोई सूचना ही दी गई। जिससे विकास अधिकारी, प्रधान एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य उपस्थित ही नहीं थे। भू आवंटन के पश्चात आवंटी को भूमि पर कोई कब्जा नहीं दिया गया और ना ही कोई कभी भूमि आबाद की। आवंटी ने तो कोई कब्जा लिया और न ही भूमि को आबाद किया। इसलिए गिरदावरी में 2042 से लगातार आज तक यह भूमि पडत बीड के रूप में ही अंकित है। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से भूमि आबाद नहीं करने से आवंटन आदेश जो वैधानिक रूप से भी गलत है, जो निरस्त होने योग्य है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया है आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को सूचना दी, तथा राज्य सरकार द्वारा जो सदस्य नियुक्त किया गया है, उन सदस्यों ने समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन किया है, जो सही एवं सत्य है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश किया है उससे पूर्व ही अप्रार्थीगण का कब्जा हो काश्त करता चला आ रहा है, तथा काफी अंग मेहनत करके उक्त भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषि कार्य कर रहा है तथा जिस जगह कृषि भूमि आवंटन हुई उसी जगह काश्त करता चला आ रहा है, तथा उक्त भूमि पर कदीम से प्रार्थी का कब्जा हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इसके साथ प्रार्थी द्वारा आवंटी को आवंटन के पश्चातवर्ती वर्ष अर्थात् वर्ष 1985 के बाद लगातार वर्षों के काश्त बाबत कोई अभिलेख पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.24 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नही किये जाकर संवत् 2042–45, 2046–49, 2054–57, 2058–61, 2062–65 की नकल खसरा गिरदावरी पेश की गई। वस्तुतः आवंटी को भूमि का कब्जा पटवार हल्का दौलतपुरा द्वारा आवंटन के पश्चात दिनांक 31.05.1985 को सौपा जा चुका था। आवंटी का आवंटित भूमि पर उसी का कब्जा होकर उपयोग/उपभोग में ली जा रही है। विपक्षी ने कब्जा एवं काश्त नहीं की है, किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं हो पाया है। जहां तक गैर खातेदारी से खातेदारी का प्रश्न है कृषि भूमि हेतु भू–आवंटन नियम 1970 के प्रावधान अनुसार आवंटी खातेदारी की पात्रता रखता है। आवंटन के 30 वर्षो बाद भूमि आवंटन निरस्तगी के प्रार्थना पत्र का कोई पुख्ता अभिलेखीय आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। 30 वर्ष पूर्व भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ हुआ, जिस पर काश्त की जा रही है। उक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या आधार पर प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र में उठाए गए है वे पूर्ण रूप से मिथ्या है। विधिवत भूमि की उद्घोषणा जारी होकर सलाहकार समिति की राय के अनुसार आवंटन किया गया है। प्रथम दृष्ट्या तो आवंटित भूमि पर कब्जा प्रार्थी का प्रमाणित नही है। यदि कब्जा प्रार्थी का माना भी जाये तो प्रार्थी अतिचारी की श्रेणी में आता है। विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत किया जाना प्रस्तुत अभिलेख से प्रतीत है। छल–कपट या नियमों के विपरीत भूमि आवंटन का होना नही पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार से आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगूँ द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 1089/1985 दिनांक 15.02.1985 में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं मृतक अप्रार्थी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार निवासी बेंगूं का आवंटन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी अब्दुल लतीफ पिता ईमामुद्धीन मंसुरी निवासी बेंगूँ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 में सारहीन होने से खारीज किया जाता है, एवं मृतक अप्रार्थी नन्दलाल पिता चतरभुज सुथार निवासी बेंगूं का आवंटन उपखण्ड अधिकारी बेंगूँ द्वारा आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 1089/1985 दिनांक 15.02.1985 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>18.02.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.24 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested